उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

श्री रतन प्रकाश
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 18/2020–21

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Misc. Appeal)

अपीलार्थी श्री रतन प्रकाश, ग्राम – खोरा, पोस्ट – खोरा, थाना – गुमला, जिला – गुमला के द्वारा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला के आदेश ज्ञापांक – 666(ii)/खाद्य दिनांक – 11.08.2020 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अंकनीय है कि जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला ने अपने आदेश में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0 – 08/1991 को झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण (आदेश), 2019 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के परिप्रेक्ष्य में रद्द किया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के ज्ञापांक – 25(ii) दिनांक – 08.08.2020 के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा दिनांक – 31/08/2020 को जवाब दिया गया। विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि तदोपरांत उत्तरवादी के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया। आवेदक के पक्ष में उपभोक्तागण द्वारा लिखित रुप में जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला को प्रतिवेदित किया गया है कि दुकानदार के विरुद्व कोई शिकायत नहीं है। आवेदक एवं कार्डधारीगण के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है कभी भी कठोर व्यवहार आवेदक द्वारा कार्डधारियों के साथ नही किया गया है, आवेदक प्रत्येक माह खाद्यान वितरण पंचायत निगरानी समिति के समक्ष किया जाता है एवं माप–तौल सही दिया जाता है। उक्त के आलोक में आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला द्वारा आवेदक श्री रतन प्रकाश की अनुज्ञप्ति संख्या 08/91 को ग्रामीणों एवं कार्डधारियो से लागातार शिकायत एवं निर्धारित मात्रा से कम अनाज वितरण करने के आरोप में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण (आदेश), 2019 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर आवेदक के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

अपीलार्थी के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं जिला आापूर्ति पदाधिकारी, गुमला के ज्ञापांक – 666(ii)/खाद्य दिनांक– 11.08.2020 के समीक्षोपरान्त ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त समय प्रदान किए बिना ही अनुज्ञप्ति सं0–08/1991 को रद्द किया गया है, जो तर्कसंगत नही है।

अतः प्रश्नगत वाद जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गुमला को Remand किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि सभी औपचारिकतों को पूर्ण कर अपीलार्थी के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की समीक्षा कर संगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय लेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

22.06.22

उपायुक्त,
गुमला

22.06.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:57:32 +05:30
Location: 192.168.43.106

Scanned with OKEN Scanner